"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 नवम्बर 2009—कार्तिक 13, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 17, सहपठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रमुख लोकायुक्त के परामर्श से "छत्तीसगढ़ लोक आयोग कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2009" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 8 के उपनियम (दो) में शब्द "तीन" को विलोपित किया जावे.

2. अनुसूची के क्रमांक 7 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (2) में शब्द "मान्यता प्राप्त" के पश्चात् शब्द "मंडल से हिन्दी" अंत:स्थापित किया जावे.

3. अनुसूची के क्रमांक 7 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (2) में शब्द "कम्प्यूटर में" के पश्चात् शब्द "न्यूनतम" अंत:स्थापित किया जावे.

4. अनुसूची के क्रमांक 8 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (2) में शब्द "मान्यता प्राप्त" के पश्चात् शब्द "मंडल से हिन्दी" अंत:स्थापित किया जावे.

5. अनुसूची के क्रमांक 8 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (2) के पश्चात् निम्नानुसार स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"(3) यदि चयन के लिये मेरिट में एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अंग्रेजी में भी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मान्यता प्राप्त मंडल से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी".

6. अनुसूची के क्रमांक 8 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (2) में शब्द "कम्प्यूटर में" के पश्चात् "न्यूनतम" अंत:स्थापित किया जावे.

7. अनुसूची के क्रमांक 11 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए एवं"

8. अनुसूची के क्रमांक 11 के खंड (6) (योग्यता) के क्रमांक (2) में शब्द "संस्था से" के पश्चात् शब्द "न्यूनतम" अंत:स्थापित किया जावे.

9. अनुसूची के क्रमांक 11 के खंड (9) (भर्ती के तरीके) में शब्द "प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा" के स्थान पर शब्द "नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के विवेक अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा अथवा चयन से सीधी भर्ती द्वारा" प्रतिस्थापित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 4th November 2009

NOTIFICATION

No. F 4-1/2008/1-7.—In exercise of the powers conferred by Sec. 17 read with sub-sec. 2 of Sec. 13 of Chhattisgarh Lok Aayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002) the State Government in consultation with Pramukh Lokayukt hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Lok Aayog Karyalaya Seva (Recruitment and Service condition) Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In sub-rule (Two) of Rule 8, the word "Three" shall be omitted.

2. In serial No. (2) of column 6 (qualification) of serial No. 7 of the schedule, the commas and words ",in Hindi," shall be inserted after the words "Must have passed".

3. In serial No. (2) of column 6 (qualification), of serial No. 7 of the schedule the word "minimum" shall be inserted before the words "The PGDCA".

4. In serial No. (2) of column 6 (qualification), of serial No. 8 of the schedule the commas and words ", in Hindi," shall be inserted after the words "Must have passed".

5. After serial No. (2) of column 6 (qualification) of serial No. 8 of the schedule the following shall be inserted, namely :

"If for selection equal marks are obtained in merit by more than one candidate, preference shall be given to the candidates who have also passed English Shorthand and English Typing Examinations, from a recognized Board".

6. In serial No. (2) of column No. 6 (qualification), of serial No. 8 of the schedule the word "minimum" shall be inserted before the words "The PGDCA"

7. In column No. 6 (Qualification) of serial No. 11 of the Schedule serial No. (1) shall be substituted following, namely :—

"Must be a Graduate from any recognized University and;"

8. In serial No. (2) of column No. 6 (qualification) of serial No. 11 of the schedule, the words "minimum" shall be inserted before words "one year".

9. In column No. 9 (Mode of recruitment) of serial No. 11 of the Schedule the words "By direct recruitment through competitive examination" shall be substituted by the words "By competitive examination or by selection at the discretion of Appointing Authority".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009